न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राजस्व अपील संख्याः— 37 / 2019

1—कृष्णपाल उम्र 17 वर्ष
2—सुधीर उम्र 3 वर्ष
} पुत्रगण रामविजय जाति जाट निवासी ग्राम बरसों तहसील व जिला भरतपुर अल्पसंख्यक द्वारा मां श्री मति सत्यवती पत्नी रामविजय जाति जाट निवासी ग्राम बरसो तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्टस

बनाम

1— प्रेमवती पत्नी स्व0 बनय सिंह
2— जगराम
3— जगपाल
4— रामविजय
} पुत्रान बनयसिंह जाति जाट निवासी बरसों तहसील व जिला भरतपुर

5— रामश्री पुत्री बनयसिंह पत्नी साहबसिंह जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6— दुलारी पुत्री बनयसिंह पत्नी श्री दीवानसिंह जाति जाट निवासी पुष्पवाटिका कालोनी भरतपुर।

7— हरमुखी पुत्री बनयसिंह पत्नी श्री राजनसिंह जाति जाट निवासी चौमां साहपुर तहसील किरावली जिला आगरा उत्तरप्रदेश।

8— अनोखी पुत्री बनयसिंह पत्नी श्री राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सलेमपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

9— गुडडी पुत्री बनयसिंह पत्नी श्री गजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सलेमपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....उत्तरवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 17.02.2009 तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 559 ग्राम श्रीनगर तहसील भरतपुर।

उपस्थितः—

1—श्री प्रमोद कुमार उपमन अभि.अपीलान्ट
2—श्री महाराजसिंह डांगुर, अभि.रेस्पो.

निर्णय

दिनांक 20.06.2019

अपीलांट द्वारा यह अपील अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 17.02.2009 तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 559 विरूद्ध रेस्पोडेन्टान इस प्रकार प्रस्तुत की है कि आराजी खसरा संख्या 1371/0.14,1372/0.25,1373/0.12,1375/0.05, 1377/0.17,1378/0.01,1379/0.12,1385/0.01,1390/0.04,1419/0.50, 1420/0.36,1421/0.37,1422/0.67,1424/0.30,1425/0.20,1426/0.16,1427/0.21,1429/0.21,1429/0.49 कुल किता 18 रकवा 4.17 हैक्टर ग्राम श्री नगर तहसील भरतपुर का अपीलार्थीगण का बाबा स्व. श्री बनयसिंह 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज रहा था। उसने मरनेसे पूव्र उक्त हिस्से की विधिवत रूप से निस्पादित अन्तिम वसीयत अपीलार्थीगण के हक में छोडी है। जिसके आधार पर उक्त आराजी का नामान्तकरण अपीलार्थीगण के हक में स्वीकृत होना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं कर खण्डनाधीश आदेश देने में तहत न्यायालय ने भारी भूल की है।

जब मृतक ने अपनी विधिवत रू‍प से निस्तारित वसीयत छोडी है तो

धारा 30 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं धारा 39 राज0 काश्त0 अधिनियम प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकारों को निगर्मन इच्छा पैत्रिक उत्तराधिकारीगण के हक में होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत मौजूदगी में मृतक नामान्तरण विरासत उत्तरवादीगण के हक में स्वीकृत की गई है , जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने खण्डनाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मृतक के वारिस की जानकरी की है। अपीलार्थीगण को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अपीलार्थीगण की वसीयत पर गौर नहीं किया गया और नहीं वसीयत पेश करने का मौका दिया गया। सभी कार्यवाही एक पक्षीय एवं परोक्ष रूप से निष्पादित नहीं की है। और नहीं कोई अधिकार रिलीज कर्ताओं को रिलीज डीड निस्तारित करने का रहा है।

विरासत नामान्तकरण स्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत को है। प्रथम नामान्तकरण का मामला ग्राम पंचायत के समक्ष पेश होना जरूरी है व 45 दिन तक निर्णीत नहीं होने की सूरत में तहसीलदार को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण शून्य व निरस्तनीय है। कोई सजरा या प्रमाण पत्र वारिस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है और वारिस की कोई जांच भी नहीं की है। सम्पूर्ण कार्यवाही जल्दबाजी में बिना प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना की गई है जो अवैध है।

अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि उनके हक में मृतक के द्वारा छोडी गई वसीयत है। इसलिए अपीलार्थीगण अपने हक में नामान्तकरण स्वीकृत कराने के अधिकारी हैं और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से परिवेदित हैं। अपीलार्थीगण को अभी तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 22.04.2009 को आदेश तहत न्यायालय की नकल मिलने पर जानकारी हुई है। जानकारी होने के बाद अपीलार्थी ने राजस्व न्यायालय में एक वाद दायर

किया जिसमें इस नामान्तकरण को चुनोती दी है। लेकिन अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्त आदेश की सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने की सलाह देने पर यह अपील बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। आदेश क्षेत्राधिकार से परे है इसलिए शून्य है जिसकी अपील करने की कोई अवधि नहीं है। फिर भी धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है।

इस प्रकार अपीलांट द्वारा अन्त में प्रार्थना की गई है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 07.02. 2009 बाबत नामान्तकरण से 559 ग्राम श्री नगर तहसील भरतपुर निरस्त किया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश किया गया जो दिनांक 09.01.2017 को स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 17.04.2017 को अपीलांट की ओर से , प्राार्थना पत्र आदेश 32 नियम 07 सीपीसी प्रस्तुत करने पर दिनांक 25.09.2017 को स्वीकार किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टान के द्वारा भी दिनांक 02.01.2018 को प्रार्थना पत्र धारा 80 (3) सीपीसी पेश किया गया जो स्वीकार किया गया। इसी प्रकार दिनांक 08.08.2018 को अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र उम्र संशोधन का पेश किया गया जो दिनांक 18.09.2018 को स्वीकार किया जाकर उम्र संशोधन दर्ज किया गया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा उनके द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया। विवेचन इस प्रकार है–

अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी पर गौर किया । अपीलांट

द्वारा यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाए बिना अपीलााधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलांट व्यथित है इस कारण न्यायालय में अपील पेश करने हेतु आज्ञा यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसका जबाब पेश कर रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांट आदेश से अपीलांट ग्रसित नहीं है। अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थना पर सुना गया। अपीलाधीन संख्या 559 दिनांक 17.02.2009 पर गौर किया जिसमें बनय सिंह का सजरा दर्शित है। जिसके अनुसार प्रेमवती, जगवती, जगराम जसपाल सिंह, रामविजय , रामश्री , दुलारी, हरमुखी,अनौखी व गुड्डी, बनयसिंह व वारिस दर्शाए हुए है। अपीलांट के पिता का नाम रामविजय है जिसको नामान्तकरण में स्पष्ट रूप से दर्शाया हुआ है।इसलिए अपीलांट का यह कहना कि अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया है । स्वतः ही गलत हो जाता है । अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी खारिज किया जाता है।

तत्पश्चात धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। धारा 5 मियाद अधिनियम की बाबत अपीलांट का तर्क है कि दिनांक 22.04.2009 को जानकारी होने के बाद अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद दायर किया गया लेकिन अधिवक्ता महोदय के अपीलांट को नामान्तकरण की अपील सक्षम अदालत में करने की सलाह दी अतः बिना देरी के अपील पेश की जा रही है। अपील अन्दर किया शुमार की जावे। जवाब में रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि अपीलाधीन की जानकारी दिनांक 27.04.2009 को हो चुकी है। फिर भी अपील 3 माह बाद पेश की गई है। राजस्व वाद दिनांक 27.04.2009 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें नामान्तकरण को चुनौती दी गई है। सुना गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि स्वयं अपीलांट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 22.09.2009 को आदेश की जानकारी अपीलांट को हो गई थी जिसकी बाबत राजस्व वाद थी उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के समक्ष दिनांक 27.04.2009 को बादीगण /अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

किया गया है। जानकारी होने के बाद भी हस्तगत अपील दिनांक 20.07.2009 को पेश की गई है जो लगभग 3 माह की देरी से प्रस्तुत की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व तर्कों से न्यायालय सहमत नहीं है। अपील अपीलान्ट द्वारा मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलांट का प्रार्थीगण धारा 5 अस्वीकार का खारिज किया जाता है। इसी आधार पर अपील अपीलान्ट किया बाहर होने से खारिज की जाती है।

तत्पश्चात अपील में गुणावगुण के तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट का तर्क है कि अपीलान्ट के बाबा बनयसिंह अपीलाधीन आराजी में 1/4 के हिस्से के खातेदार दर्ज रहे थे जिसकी वसीयत के अपीलांट के हक में छोडी गई थी। लेकिन तहसीलदार भरतपुर द्वारा नामान्तकरण विरासतन दर्ज किया गया है। वसीयत के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत करने में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। निष्पादित वाद भी अपीलांट द्वारा दायर किया जा चुका है। इसलिए नामान्तकरण निरस्त किया जावे।

पत्रावली पर पेश नामान्तकरण का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि नामान्तकरण में बनय सिंह (मृतक) के समस्त वारिसान को दर्शाया गया है। जो प्रेमवती (पत्नि),जगराम, जगपतसिंह, रामविजय (पुत्रगण) रामश्री, दुलारी, हरमुखी, अनोखी, गुडडी (पुत्रियान) सजरा में दर्शाई हुई हैं। अर्थात नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व समस्त वारिसयान की पूर्ण जांच की गई है। जहां तक रिलीज डीड दिनांक 13.01.2009 का प्रश्न है तो उक्त रिलीज दुलारी, हरमुखी, अनोखी व गुडडी द्वारा अपने हिस्से को जगराम व जगपाल सिंह के हक में हक त्याग किया है। जिसके आधार पर 6/9 हिस्से का खातेदार जगराम व जगपाल सिंह को, 1/9 हिस्सा प्रेमवती को 1/9 हिस्सा रामविजय को व 1/9 हिस्सा रामश्री की खातेदारी में दर्ज किया गया है। उपरोक्त हिस्सा समस्त आराजी के 1/4

हिस्से में दर्ज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अपीलांट का यह तर्क था कि आराजी भी वसीयत अपीलांट के हक में बनयसिंह द्वारा बनाई गई है। इस संबध में न्यायालय का यह मत है कि वसीयत के आधार पर अपीलांट के विवादित आराजी पर कोई अधिकार है,या नहीं इस प्रश्न को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। वसीयत के आधार पर इस न्यायालय से कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करने में अदालत तहत ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है । अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं है।

अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।निर्णय आज दिनांक 26.06.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर ,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official